न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सांलुखे गौरव रविन्द्र , आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
हंसाराम पुत्र जुआरमल, जाति सरगड़ा, निवासी किवरली, तहसील देलदर व अन्य – 1 (श्री शरदपाल सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण)		हरिओम प्रसाद पुत्र मुरलीधर जायसवाल, जाति कलवार, निवासी यशोदा नगर, हॉस्पीटल रोड़, खगरिया बिहार व अन्य – 1 (श्री दिनेश खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024

दिनांक 25.06.2024

–: आदेश :–

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी व कब्जे की खसरा संख्या 1921/81 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी व कब्जे की खसरा संख्या 1922/81 एवं 82 कुल रकबा 0.2150 हैक्टेयर कृषि भूमि मौजा ग्राम किवरली, पटवार हल्का किवरली, तहसील देलदर में स्थित है। यह कि प्रार्थीगण अपनी–अपनी खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि पर परिवार सहित काबिज काश्त है एवं उसका उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा व ऐतराज के करते आ रहे है। यह कि प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा संख्या 141 कुल 80 कुल रकबा 0.4552 कृषि भूमि स्थित है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 की उक्त कृषि भूमि से लगते हुए राजस्व नक्शे अनुसार रेकर्डेड आवागमन हेतु रास्ता राज्य सरकार के नाम दर्ज है, जिस पर डामर सड़क बनी हुई है। यह कि प्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 1921/81 कृषि भूमि एवं प्रार्थी संख्या 02 की खसरा संख्या 1922/81 एवं 82 कृषि भूमि से मुख्य सड़क तक आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 141 एव 80 की कृषि भूमि सबसे नजदीक आसान व सुलभ मार्ग मुख्य सड़क से लगती हुई है, जिसमें से रास्ते को प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 की उक्त खसरा संख्या 141 एवं 80 की कृषि भूमि में से प्रार्थीगण की पद संख्या 01 व 02 में वर्णित कृषि भूमि तक आवागमन का रास्ता नही दिये जाने के कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि तक स्वयं के आने जाने एवं उनके वाहनों, कृषि यंत्रो को लाने–ले जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। यह कि प्रार्थीगण को अपनी उक्त कृषि भूमि तक स्वयं हेतु तथा उनके वाहनों, कृषि यंत्रो को लाने–ले जाने हेतु न्युनतम 30 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध नही कराया जाता है तो प्रार्थीगण अपनी वर्णित कृषि भूमि के समुचित उपभोग उपयोग से वंचित हो जायेगें, उन्हे भारी असुविधा एवं कठीनाईयो का सामना करना पड़ेगा। यह कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि से [illegible] तक स्वयं के आवागमन एवं उनके वाहनों, कृषि यंत्रो को लाने, ले जाने हेतु [illegible] की खसरा संख्या 141 एवं 80 की कृषि भूमि में से न्युनतम 30 फुट [illegible] रास्ता दिये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.06.25 14:38:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करे। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया कि वर्णित खसरा संख्या 1921/81 की कृषि भूमि का वास्तविक स्वामी प्रार्थी संख्या 01 तथा खसरा संख्या 1922/81 एवं 82 की कृषि भूमि का वास्तविक स्वामी प्रार्थी संख्या 02 नही है , वे केवल दिखावटी, दृश्यमान स्वामी है जबकि पद संख्या 01 व 02 में वर्णित दोनो कृषि भूमियों का वास्तविक स्वामी/केता बी.के.प्रभू भाई निवासी ब्रह्माकुमारी संस्थान शांतिवन, तहसील आबूरोड़ में निवास करता है। कि दिखावटी दृश्यमान स्वामी प्रार्थीगण द्वारा उक्त दोनो कृषि भूमियों पर कभी भी कृषि कार्य नही किया गया है और न ही वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है। कि प्रार्थीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति को उक्त वर्णित कृषि भूमि से भिन्न प्रयोजनार्थ रास्ते प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। कि अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि के आसपास अन्य कई काश्तकारो की कृषि भूमियां स्थित है, जो बिना किसी बाधा व ऐतराज के राजस्व नक्शे अनुसार रेकर्डेड आवागमन के रास्ते से उनकी कृषि भूमि तक निर्बाध आवागमन करते है, जिन्हे कोई असुविधा नही है। कि पद संख्या 01 व 02 में वर्णित दोनो कृषि भूमियों के वास्तविक स्वामी/केता बी.के.प्रभू भाई उसके हितबद्ध दोनो व्यक्ति दिखावटी दृश्यमान स्वामी अनुसूचित जाति के व्यक्ति प्रार्थीगण के नाम से कृषि भूमि खरीद कर उनके मार्फत दोनो कृषि भूमियों को आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाना चाहता है एवं कृषि भूमि को अकृषि भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग में लेने के लिये अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि में से अवैध रास्ते की मांग कर रहे है, जिसका प्रार्थीगण व अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नही है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

स्टेट का जवाब में अंकन है कि राजस्व नक्शे एवं मौके अनुसार दोनो प्रार्थीगण की भूमि मौके पर एक जगह आपस में लगती हुई है। कि प्रार्थीगणों की खातेदारी कृषि भूमि से लगते हुये अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है एवं उससे लगते हुये डामर सड़क से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग नही है। कि मुख्य सड़क से प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि तक आने जाने हेतु यही से लघुत्तम एवं निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग निकटतम उपलब्ध नही है। मौका रिपोर्ट में अंकन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि 1921/81 , 1922/81 व 82 पर आने जाने हेतु कोई रेकर्डेड मार्ग मौके पर उपलब्ध नही है। प्रार्थीगणों की कृषि भूमि पर डामर सडक से आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 80 व 141 में से लघुतम एवं निकटतम मार्ग उपलब्ध हो सकता है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी ,पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर दस्तावेजो का अध्ययन किया। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 141 एवं 80 की कृषि भूमि में से 30 फीट रास्ता चाहा गया है, जो तहसीलदार के पत्रांक 160 दिनांक 13.03.2024 के संलग्न नक्शे में लाल लाईन से दर्शाया गया है। स्टेट के जवाब व मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि 1921/81 , 1922/81 व 82 पर आने जाने हेतु कोई रेकर्डेड मार्ग मौके पर उपलब्ध नही है एवं अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 80 व 141 है एवं उससे लगते हुये डामर सड़क से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.06.25 14:38:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व अधिकारी प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 80 रकबा 0.1770 हैक्टेयर में से 0.0391 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 141 रकबा 0.2782 हैक्टेयर में से 0.0417 हैक्टेयर कुल भूमि 0.0808 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी। ग्राम किवरली की डी एल सी दर

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

1911283 रूपये प्रति हैक्टेयर से मूल्यांकन 154432/– रूपये बनता है, जिसका दुगुना मूल्यांकन 308864/– रूपये बनता है। प्रस्तावित रास्ता कायम करते हुए रास्ते का सार्वजनिक रूप से उपयोग हेतु नक्शे में तरमीम की कार्यवाही करने के आदेश दिए जाते है। राजस्व अधिकारी पत्र संख्या 343 दिनांक 24.06.2024 के अनुसार अप्रार्थी को नियमानुसार राशि का भुगतान करवाते हुए रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करेंगे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

आदेश आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.06.25 14:38:01 IST
Reason: SelfAttested